Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Ref.: FP/RJ/TRANS/153699/2022

Date:12.07.2023

Dy. Conservator of Forest Jodhpur Territorial Jodhpur

Subject: Diversion of 0.175 ha of forest land in favour of ABC Solar (India) Private Ltd. For Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District- Jodhpur in the State of Rajasthan (Proposal No.: FP/RJ/TRANS/153699/2022)

Reference: Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office, A218 & B216, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur Letter No. 8B/RAJ012/2023-JPR (920510/2023/O/o IRO (JAIPUR) dated 10th May, 2023. Dear Sir,

With reference to above mentioned subject, we would like to inform you that we have submitted the Forest Diversion proposal for 0.175 ha. forest land for construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220KV GSS at Near Village-Badi Sird, Tehsil-BAP, District- Jodhpur in the State of Rajasthan.

After examination of the said proposal by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), Integrated Regional office some additional details are required therefore, we are herewith submitting the point wise compliance report for your reference and necessary action please.

Sr. No.	EDS Raised	Point Wise Reply
1.	As, the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the State Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the person involved including the officials from the Forest department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.	violation are enclosed

Place : Jodhpur : 12/07/2023

Date

For ABC Solar (India) Private Limited (Authorized Signatory)

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Annexure -I

Factual Report

प्रस्ताव का जाम: Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan

प्रस्ताव संख्या : FP/RJ/TRANS/153699/2022

प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल : 0.175 हे0

ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजस्व ग्राम बड़ी सीड़ में 300 MW का सोलर प्लान्ट प्रस्तावित किया गया था एवं प्रस्तावित प्लान्ट से बनने वाली रिन्युएबल एनर्जी को 220 KV पारेक्षण लाईन के द्वारा पावर ग्रीड कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (PGCIL) के 765 / 400 / 220 K.V. GSS में पहुचानें हेतू लाईन प्रस्तावित की गई थी।

प्रस्तावित 220 KV पारेक्षण लाईन के कार्य करने के दौरान यह संज्ञान में आया कि प्रस्तावित मार्ग पावर ग्रीष्ठ कॉरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड एवं प्रस्तावित 300 MW सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-11) गुजर रहा है एवं उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ROW की भूमि रिक्षित वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा तत्काल वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जिरये प्रस्ताव संख्या FP/RI/TRANS/153699/2022 दिनांक 23.03.2022 को परिवेश 1.0 पर अपलोड कर दिया गया।

वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त उप वन संरक्षक महोदय, जोधपुर द्वारा प्रत्यार्वन की हार्ड प्रतिलिपी प्रेषित करने के लिए दिनांक 20.04.2022 को निर्देशित किया गया था एवं उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 25.04.2022 को प्रस्ताव की हार्ड प्रतिलिपी जमा करवा दी गयी थी।

कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा यह संज्ञान कर लिया गया कि हाई प्रति उप वन संरक्षक को जमा कराने के उपरान्त कार्य किया जा सकता है। प्रतिलिपि जमा करने के उपरान्त समय की पाबन्दी की कारण कार्य शुरू कर दिया इस अनुमान के साथ की यह एक डीम्ड प्रक्रिया है। जो अज्ञानवर्ष एवं भूलवश किया गया एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ गैर वन भूमि में निर्मित विद्युत टावरों के ऊपर तार खीचने का कार्य लोकहित में सम्पादित कर दिया गया।

चूंकि राजस्थान राज्य में उस दौरान विधुत की बहुत कमी चल रही थी एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के रेगुलर मोनीटरिंग के कारण उक्त कार्य समय पर सम्पादित किया जाना था तथा कम्पनी की प्रोजेक्ट

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

कमीशनिंग की तारीख 2 जून 2022 थी अतः अज्ञानवर्ष वन भूमि पर बिना स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य सम्पादित हो गया है।

तत्पश्चात् वन विभाग द्वारा उक्त भूमि पर एयर मार्किंग की प्रक्रिया पूर्ण की गयी जिसके उपरांत दिनांक 28.5.2022 को क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत एफ.आई.आर. जारी की गयी। उप वन संरक्षक के दिनांक 7.6.2022 को स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति पारेषण लाईन खींचा जाना वन संरक्षण अधिनियम का उलंघन होना पाया गया है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत जारी एफ. आई. आर. का शमन दिनांक 06.06.2022 को जिरये रसीद संख्या 17 / 58 दिनांक 6.6.2022 राशि 75000/- से करा दिया गया है। अधीनस्थ साइट इंचार्ज को भविष्य में बिना स्वीकृति कार्य नहीं करने हेत् निर्देशित किया गया है।

यूजर कम्पनी द्वारा उक्त उलंघन जानबूझ कर नहीं किया गया है अपितु लोक हित कार्य को मद्दे नजर रखते हुए अज्ञानवर्ष हो गया है। वन संरक्षण अधिनियम या अन्य नियम में कोई उल्लधन स्वरूप जो भी राशी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित की जावेगी उक्त धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी जावेगी।

अतः इस क्रम में निवेदन है कि उक्त पारेषण लाईन में कोई वृक्ष का पातन नही किया गया है। एवं जनहित कार्य को मद्दे नजर रखते हुए उक्त प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

संजय राजपुरोहित ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि.

जोधपूर

Formerly known as TBEA Solar (India) Private Limited

Full Title of the Project: Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan.

Proposal No.: FP/R J/TRANS/153699/2022

Date of Proposal: 23/03/2022

Applied Forest Area: 0.1750 hectare

भविष्य में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के वन भूमि में गैर वनिकी कार्य ना करने के संबंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र

मैं मैसर्स ए.बी.सी. सोलर (इंडिया) प्रा. लि. शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भविष्य में फर्म द्वारा वन भूमि में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं किया जायेगा इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है एवं भविष्य में इस तरह के केस की पुनरावर्ती ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा।

Place: Jodhpur

Date: 12.07.2023

ABC Solar (India) Private Limited

(Authorized Signatory)

Counter signed by:-

Divisional Forests Officer

Jodhpur Forest Division